पत्रांक–22/अनु0–05/2012 सा0प्र0...14157.../

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक–09.11.2017

विषयः– सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक की सधवा पुत्रवधू (पुत्र की सधवा पत्नी) को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रितों की श्रेणी में रखने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि इस विभाग के ज्ञापांक–13293 दिनांक–05.10.1991 की कंडिका (1)(ग) के तहत अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रितों को परिभाषित किया गया है जिसमें मृत सरकारी सेवक की पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री एवं पुत्र की विधवा पत्नी को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रित माना गया है। इसके पश्चात् पत्रांक–512 दिनांक–12.05.2005 के तहत कुछ शर्त्तों के अधीन दत्तक पुत्र एवं दत्तक अविवाहित पुत्री को आश्रित की श्रेणी में रखने का निर्णय लेते हुए ज्ञापांक–13293 दिनांक–05.10.1991 को इस हद तक संशोधित किया गया है। पत्रांक–7146 दिनांक–31.10.2008 के तहत यह निर्णय भी संसूचित है कि अविवाहित मृत सरकारी सेवक के मामले में उसकी विधवा माँ, छोटा भाई एवं अविवाहित छोटी बहन को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रित माना जायेगा। तदुपरान्त पत्रांक–1699 दिनांक–05.05.2010 द्वारा इस शर्त्त के साथ मृत सरकारी सेवक की तलाकशुदा/ परित्यक्ता पुत्री को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ आश्रित माना गया है कि तलाक/विवाह का विघटन सक्षम न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो और मृत सरकारी सेवक के परिवार में विधवा पत्नी के अतिरिक्त वह एक मात्र आश्रित हो। पुनः परिपत्र सं0–16973 दिनांक–10.12.2014 द्वारा मृत सरकारी सेवक की संतान के रूप में मात्र पुत्रियों के होने की स्थिति में विवाहिता पुत्री को भी अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ आश्रित की श्रेणी में लाया गया है बशर्त्ते की मृत सरकारी सेवक के परिवार में उनकी पत्नी अथवा पति के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रित न हो।

2. विचार के क्रम में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित ऐसे मामले भी दृष्टिगत हुए हैं जिनमें विभिन्न परिपत्रों द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु अभी तक घोषित आश्रितों में से कोई भी आश्रित शारीरिक/मानसिक रूप से सक्षम अथवा सरकारी सेवा में नियोजन के योग्य नहीं होते हैं, उस परिवार में मृत सरकारी सेवक की केवल सधवा पुत्रवधू (पुत्र की सधवा पत्नी) ही अनुकम्पा नियुक्ति के योग्य पाये जाते हैं। किन्तु, सधवा पुत्रवधू को अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आश्रित की श्रेणी में नहीं रखा गया है। ऐसी स्थिति में मृत सरकारी सेवक के किसी भी आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ संभव नहीं हो पाने से उसके परिवार के

समक्ष आश्रित के भरण–पोषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अनुकम्पा नियुक्ति की नीति का मूल उद्देश्य ही सरकारी सेवक की सेवाकाल में हुई असामयिक मृत्यु के कारण उसके आश्रितों/परिवार के समक्ष उत्पन्न भरण–पोषण की समस्या का निराकरण करना तथा तत्समय उत्पन्न आर्थिक तंगी से बचाना है। अतएव सधवा पुत्रवधू को भी सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक का आश्रित माने जाने का विषय सरकार के समक्ष विचाराधीन था। इस संबंध में विधिक परामर्श भी प्राप्त किया गया जिसमें उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में मृत सरकारी सेवक की सधवा पुत्रवधू को भी आश्रितों की श्रेणी में रखना अपेक्षित बताया गया है।

3. अतः उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में विधिक परामर्श के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि मृत सरकारी सेवक की सधवा पुत्रवधू (पुत्र की सधवा पत्नी) को भी अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ आश्रित माना जायेगा, **बशर्ते मृत सरकारी सेवक के परिवार में उनकी पत्नी के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रित शारीरिक/मानसिक रूप से सक्षम अथवा नियोजन के योग्य न हो।**

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञापांक–13293 दिनांक–05.10.1991 की कंडिका–1 (ग) को उपर्युक्त हद तक तदनुसार संशोधित समझा जाये।

विश्वासभाजन

(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव